न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0:–592 / 2026
सी0एन0आर0नं0–यू0पी0जे0पी0 010042872026

शिवा यादव उर्फ हर्ष यादव पुत्र नन्हे यादव
सा0मौ0–मानियां, थाना–सरायख्वाजा, जिला–जौनपुर।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0:–593 / 2026
सी0एन0आर0नं0–यू0पी0जे0पी0 010042882026

राजन यादव उर्फ बन्टी यादव पुत्र जयप्रकाश यादव
सा0मौ0–जंगीपुरकला, थाना–सरायख्वाजा, जिला–जौनपुर।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0–479 / 2025
धारा–191(2), 191(3), 109(1),
352, 351(2), 3(5) बी.एन.एस.।
थाना–सरायख्वाजा, जिला जौनपुर।

06.06.2026

आवेदकगण / अभियुक्तगण शिवा यादव उर्फ हर्ष यादव व राजन यादव उर्फ बन्टी यादव द्वारा मु0अ0सं0–479 / 2025, धारा–191(2), 191(3), 109(1), 352, 351(2), 3(5) बी.एन.एस. थाना–सरायख्वाजा, जिला जौनपुर के मुकदमें में अलग–अलग जमानत प्रार्थना प्रस्तुत किये गये है, जो एक ही मु0अ0सं0 एवं घटनाक्रम से संबंधित है। अतः सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एक ही साथ किया जा रहा है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि दिनांक 17.08.2025 को समय लगभग 10 बजे वादी मुकदमा नवनीत सिंह का भाई मनोज कुमार सिंह नहर के पुलिया जो बाजार में स्थित है के पास खड़ा था कि प्रीतम उर्फ मुलायम यादव, शिवा यादव, अमन यादव, गोलई यादव व अजय यादव लाठी, डंण्डा व धारदार हथियार लेकर पुलिया पर खड़े मनोज कुमार के ऊपर जान लेवा हमला किये जिससे उसको गंभीर चोटे आयी। उपरोक्त सभी लोग मारने के बाद जाते समय जान से मारने की धमकी व गाली गुप्ता दिये। उपरोक्त के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदकगण / अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण को गलत ढंग से अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक राजन यादव उर्फ बंटी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। आवेदकगण घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। आवेदकगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र अन्य न्यायालय में लम्बित अथवा दाखिल नहीं है। मामले में सहअभियुक्तगण की जमानत हो चुकी है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अपराध गम्भीर प्रकृति का बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 17.08.2025 को समय लगभग 10 बजे अन्य सहअभियुक्तगण के

साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई मनोज कुमार सिंह के ऊपर लाठी, डण्डा व धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया, जिसकी पुष्टि वादी मुकदमा एवं चोटहिल के द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में की है। घटनाक्रम में मजरूब मनोज कुमार सिंह को 10 चोटें आने का अंकन आघात आख्या में किया गया है। चोट संख्या 1, 2, 3 व 10 के एक्सरे की सलाह दी गयी है। एक्सरे रिपोर्ट में **showing fracture of vault of skull rt parietal bone part seen under view.** तथा Chest में NAD अंकित है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित है कि अभियुक्त राजन यादव उर्फ बंटी यादव प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है उसका नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। अभियुक्त शिवा यादव उर्फ हर्ष यादव प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रकरण में सहअभियुक्तगण लाला यादव, बृजेश यादव उर्फ विजय यादव उर्फ विरजू यादव, प्रीतम यादव उर्फ मुलायम, प्रांजल यादव, अजय यादव, कृष्णा यादव उर्फ गोलू उर्फ गोलई, अजय यादव पुत्र मन्नालाल, ओमप्रकाश यादव, ओमकार सिंह की जमानत सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्तगण जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों में गुण–दोष के आधार पर कोई विचार व्यक्त किये बिना अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण शिवा यादव उर्फ हर्ष यादव व राजन यादव उर्फ बन्टी यादव द्वारा मु0अ0सं0–479/2025, धारा–191(2), 191(3), 109(1), 352, 351(2), 3(5) बी.एन.एस. थाना–सरायख्वाजा, जिला जौनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते हैं। प्रकरण में प्रत्येक अभियुक्त के द्वारा मु0–50,000/–रूपये का स्व बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो–दो प्रतिभूति सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि की दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाय।

आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–593/2026 पर रखी जाय। जो उस पर प्रभावी होगी।

<u>दिनांक 06.06.2026</u>

प्र0 सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर।